राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 203वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ 203वीं बैठक दिनांक 14/09/2016 को पूर्वान्ह 11:00 बजे, स्थान–सभाकक्ष, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नया रायपुर में श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1. श्री एन.आर. यादव, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री विनय कुमार मिश्रा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. श्रीमती रेजीना टोप्पो, सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

प्रारंभ में राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। ऐजेण्डा के कम में निम्नानुसार चर्चा की गई:–

ऐजेन्डा आईटम नं.–1: 202वीं बैठक दिनांक 13/09/2016 का कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 202वीं बैठक दिनांक 13/09/2016 को आयोजित की गई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है तथा समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जावेगा। इसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

ऐजेन्डा आईटम नं.–2: परियोजनाओं एवं गौण खनिज (रेत) उत्खनन के पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर बाबत् निर्णय लिया जाना।

1. मुख्य नगर पालिका परिषद कवर्धा, ग्राम–नेवारी, तहसील–कवर्धा, जिला–कबीरधाम (455)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर– एसआईए / सीजी / एमआईएस /53777/2016, यह आवेदन दिनांक 14/05/2016 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
- **संस्था का नाम**– मुख्य नगर पालिका परिषद कवर्धा (नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना, ग्राम–नेवारी, तहसील–कवर्धा, जिला–कबीरधाम)।
- **भूमि का विवरण**– खसरा नम्बर 165, ग्राम–नेवारी, तहसील–कवर्धा, जिला–कबीरधाम, कुल एरिया 3.666 हेक्टेयर, नगरीय ठोस अपशिष्ट क्षमता– 34.0 घनमीटर।

- निकटतम आबादी कवर्धा 2.0 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन 120 किमी. एवं एयरपोर्ट 130 किमी. दूर स्थित है।

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 197वीं बैठक दिनांक 14/06/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रस्तावित अपवहन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 18/07/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 199वीं बैठक दिनांक 25/07/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। परियोजना प्रस्तावक समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं हुए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। समिति द्वारा तत्समय यह निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के संबंध में अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जावे।

परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के संबंध में पत्र दिनांक 29/07/2016 के माध्यम से अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 08/09/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 203वीं बैठक दिनांक 14/09/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया।

समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं हुए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपस्थित ना हो पाने के संबंध में कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के संबंध में अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

2. मेसर्स मेड़ेसरा लाईम स्टोन माईन (प्रो–श्री संजय अग्रवाल), ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (462)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 55259/2016, यह आवेदन दिनांक 02/06/2016 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

- **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक प्रस्तावित चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 1015 एवं 1016, ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 3.97 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 25,500 टन/वर्ष है।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर द्वारा अनुमोदित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में अवस्थित अन्य खदानों के संबंध में प्रमाण पत्र।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी संबंधी जानकारी नहीं दी गई है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने अथवा होने, की जानकारी नहीं है।
3. **लीज डीड की जानकारी** :– लीज डीड श्री संजय अग्रवाल के नाम पर है, जो 30 वर्षो अर्थात् 24/07/2003 से 23/07/2033 तक की अवधि हेतु है।
4. माईनेबल रिजर्व 1020500 टन है। अधिकतम गहराई 20 मीटर प्रस्तावित है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जावेगा। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमर ड्रिल एवं ब्लास्टिंग हेतु जिलेटिन का उपयोग किया जावेगा। बेंच की ऊंचाई 3.0 होगी। जल का स्त्रोत डगवेल एवं बोरवेल है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जायेगा। वर्षवार उत्खनन का सारांश निम्नानुसार है :–

पहले पांच सालों के लिए उत्खनन की योजना

वर्ष	लाईम स्टोन आरओएम (टन)	लाईम स्टोन विक्रय योग्य (टन)
2013–2014	25500	22950
2014–2015	25500	22950
2015–2016	25500	22950
2016–2017	25500	22950
2017–2018	25500	22950

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 197वीं बैठक दिनांक 14/06/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नही की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में अवस्थित अन्य खदानों के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. समीपस्थ आबादी संबंधी जानकारी नहीं दी गई है।
5. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने अथवा होने, की जानकारी नहीं दी गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त जानकारियों / दस्तावेजों एवं स्थल के वर्तमान फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 18/07/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 199वीं बैठक दिनांक 25/07/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। परियोजना प्रस्तावक समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं हुए एवं उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। समिति द्वारा तत्समय यह निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज एवं प्रस्तुतीकरण के संबंध में अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जावे।

परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के संबंध में पत्र दिनांक 25/07/2016 के माध्यम से अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 08/09/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 203वीं बैठक दिनांक 14/09/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया।

समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं हुए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपस्थित ना हो पाने के संबंध में कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के संबंध में अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

3. सरपंच, ग्राम पंचायत सोनपुर (सोनपुर सेंड माईन), ग्राम–सोनपुर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (475)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 57605/2016, यह आवेदन दिनांक 20/07/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 3659/खनि 02/रेत (ईसी)/न.क्र. 38/1996 नया रायपुर दिनांक 01/08/2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।

- **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 619, ग्राम–सोनपुर, ग्राम पंचायत सोनपुर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 9.85 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन खारून नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–98,500 घनमीटर / वर्ष है।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत सोनपुर दिनांक 11/03/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दुर्ग के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 598/ख.लि. 2/खनिज/रेत खदान/2016 दुर्ग दिनांक 06/06/2016 के अनुसार

आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य आवेदित रेत खदानों की संख्या निरंक है।

4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्रीमती प्राची अवस्थी, उपसंचालक, खनि. प्रशा, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, नया रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–सोनपुर है। स्कूल 01 किलोमीटर एवं अस्पताल ग्राम–पाटन 06 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 35 किलोमीटर एवं राज्य मार्ग 06 किलोमीटर की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – औसत 135 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 320 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 98,500 घनमीटर

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 08/09/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 203वीं बैठक दिनांक 14/09/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्रीमती ननकी कौसले, संरपच, ग्राम पंचायत सोनपुर उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस रेत खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दुर्ग के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 598/ख.लि. 2/खनिज/रेत खदान/2016 दुर्ग दिनांक 06/06/2016 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य आवेदित रेत खदानों की संख्या निरंक है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–सोनपुर) का रकबा 9.85 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
3. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।

4. ग्राम पंचायत सोनपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। खारून नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

6. प्रस्तुतीकरण के दौरान सरपंच द्वारा बताया गया कि एनीकट निचली धारा में लगभग 04 कि.मी. दूर निर्माणाधीन एवं पुल उपरी धारा में लगभग 04 कि.मी. दूर स्थित है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 619, ग्राम–सोनपुर, ग्राम पंचायत सोनपुर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 9.85 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 98,000 घनमीटर /वर्ष हेतु **संलग्न–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद कोण्डागांव, ग्राम–कोण्डागांव, तहसील व जिला–कोण्डागांव (476)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 57734/2016, यह आवेदन दिनांक 22/07/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 317/खनिज/रेत/2016 दंतेवाड़ा दिनांक 18/07/2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।

- **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 98/1, 378/6 एवं 378/7, ग्राम–कोण्डागांव, नगर पालिका परिषद कोण्डागांव, तहसील व जिला–कोण्डागांव, कुल लीज क्षेत्र 5.10 हेक्टेयर (प्रोजेक्ट एरिया 4.60 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। उत्खनन नारंगी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–92,000 घनमीटर / वर्ष है।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत कुम्हारपारा दिनांक 20/08/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–कोण्डागांव के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 1541/खनिज/2016 कोण्डागांव दिनांक 20/07/2016 के अनुसार

आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य आवेदित रेत खदानों की संख्या निरंक है।

4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्री प्रमोद कुमार, खनि. अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–कोण्डागांव 02 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्था ग्राम–कोण्डागांव 02 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 01 किलोमीटर की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 45 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 90 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 92,000 घनमीटर

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 08/09/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 203वीं बैठक दिनांक 14/09/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री एस. एस. सोम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं श्री ए. आर. दास, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः**– इस रेत खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–कोण्डागांव के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 1541/खनिज/2016 कोण्डागांव दिनांक 20/07/2016 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य आवेदित रेत खदानों की संख्या निरंक है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–कोण्डागांव) का रकबा 5.10 हेक्टेयर (प्रोजेक्ट एरिया 4.60 हेक्टेयर) है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

3. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। नारंगी नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

5. पुल से 200 मीटर की दूरी सुनिश्चित करने हेतु 4.60 हेक्टेयर से उत्खनन करना प्रस्तावित है। लीज क्षेत्र 5.10 हेक्टेयर है। अतः उत्खनन क्षेत्र का उपयुक्त सीमांकन कर पक्का मुनारा लगाया जावे।

6. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक को नगर पालिका परिषद का अनापत्ति प्रमाण पत्र, खदान की सीमा से 100 में कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं होने संबंधी नया प्रमाण पत्र एवं खदान के नोटिफिकेशन की कॉपी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इसके परिपेक्ष्य में निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गईः–

   1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–कोण्डागांव के द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1641/खनिज/2015 कोण्डागांव दिनांक 14/09/2016 के अनुसार रेत खदान नगर पालिका परिषद कोण्डागांव की निकटतम नदी तट से 10 मीटर दूर स्थित है। उक्त रेत खदान के 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

   2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–कोण्डागांव के द्वारा जारी संशोधित आदेश पत्र क्रमांक 41/रेत/खनिज/2014 कोण्डागांव दिनांक 23/01/2014 के अनुसार रेत खदान घोषित किया गया है।

   3. ग्राम पंचायत कुम्हारपारा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। किन्तु नगर पालिका परिषद का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को नगर पालिका परिषद का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

5. सरपंच, ग्राम पंचायत पडरिया, ग्राम–हडहा, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर चांपा (478)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 58426/2016, यह आवेदन दिनांक 13/08/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 750/ख.लि./2016 जांजगीर, दिनांक 29/07/2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।

- **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 514, ग्राम–हडहा, ग्राम पंचायत पडरिया, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर चांपा, कुल लीज क्षेत्र 16.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 2,40,000 घनमीटर / वर्ष है।
- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत पडरिया दिनांक 18/10/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 869/ख.लि./2016 जांजगीर, दिनांक 09/08/2016 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। इस खदान के उपरी जलधारा में 800 मीटर की दूरी पर तनौद रेत खदान स्थित है। तनौद रेत खदान को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 14/03/2016 के द्वारा 06 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 90,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–हडहा 2.5 कि.मी. दूर है। शैक्षणिक संस्थान 2.5 कि.मी. एवं अस्पताल 4.0 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.0 कि.मी. की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – अधिकतम 4.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.5 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – औसत 370 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 900 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 2,40,000 घनमीटर

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 03/09/2016 के द्वारा सूचित किया गया।
- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 203वीं बैठक दिनांक 14/09/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री सीताराम, सरपंच एवं श्री रामबिलास साहू, सचिव, ग्राम पंचायत पडरिया तथा श्रीमती शबीना

टंडन, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया।

- प्रस्तुतीकरण के दौरान सरपंच / खनि निरीक्षक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि रेत उत्खनन हेतु प्रस्तुत आवेदन / प्रस्ताव में त्रुटि होने के कारण आवेदन वापस लेने हेतु अनुरोध किया गया। इस बाबत् लिखित में अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन वापस लेने हेतु अनुरोध पत्र को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

6. सरपंच, ग्राम पंचायत कंवलाझर, ग्राम–कंवलाझर, तहसील–डभरा, जिला–जांजगीर चांपा (479)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 58429/2016, यह आवेदन दिनांक 13/08/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 811/ख.लि./2016 जांजगीर दिनांक 04/08/2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।

- **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 01, ग्राम–कंवलाझर, ग्राम पंचायत कंवलाझर, तहसील–डभरा, जिला–जांजगीर चांपा, कुल लीज क्षेत्र 8.09 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन बोरई नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,21,350 घनमीटर / वर्ष है।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत कंवलाझर दिनांक 05/08/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जांजगीर चांपा के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 2034/ख.लि./2015, जांजगीर दिनांक 22/12/2015 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–कंवलाझर 1.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। बिर्रा से डभरा राजमार्ग 4.0 कि.मी. की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – लगभग 4.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.5 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – औसत 90 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 261 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 3,23,600 घनमीटर

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 03/09/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 203वीं बैठक दिनांक 14/09/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री बंशीलाल सिदार, संरपच एवं श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल, पंच, ग्राम पंचायत कंवलाझर तथा श्रीमती शबीना टंडन, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः**– इस रेत खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जांजगीर चांपा के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 2034/ख.लि./2015, जांजगीर दिनांक 22/12/2015 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–कंवलाझर) का रकबा 8.09 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
3. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
4. ग्राम पंचायत कंवलाझर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। बोरई नदी छोटी नदी है तथा रेत उत्खनन स्थल महानदी एवं बोरई नदी के संगम के पास

है। अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

6. प्रस्तुतीकरण के दौरान खनि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि रेत खदान में कई पिट्स खुदवाकर रेत उपलब्धता की गहराई नापी गई, जो लगभग 4.0 मीटर पायी गई है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 01, ग्राम–कंवलाझर, ग्राम पंचायत कंवलाझर, तहसील–डभरा, जिला–जांजगीर चांपा, कुल लीज क्षेत्र 8.09 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 80,000 घनमीटर /वर्ष हेतु **संलग्न–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

7. सरपंच, ग्राम पंचायत पेण्ड्री, ग्राम–पेण्ड्री, तहसील–डौण्डी, जिला–बालोद (482)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 58507/2016, यह आवेदन दिनांक 20/08/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। मूलप्रति प्राप्ति दिनांक 02/08/2016 है।

- **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 01, ग्राम–पेण्ड्री, ग्राम पंचायत पेण्ड्री, तहसील–डौण्डी, जिला–बालोद, कुल लीज क्षेत्र 5.40 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन तांदुला नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–81,000 घनमीटर / वर्ष है।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत पेण्ड्री दिनांक 23/08/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बालोद के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 499/खनि.लि./खनिज/2015 बालोद दिनांक 23/11/2015 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर 04 खदानें ग्राम–पचेड़ा रकबा 6.33 हेक्टेयर, ग्राम–सिंगनवाही रकबा 2.44 हेक्टेयर, ग्राम–पटेली रकबा 2.2 हेक्टेयर एवं ग्राम–ठेमाबुजुर्ग रकबा 3.00 हेक्टेयर है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–पेण्ड्री) का रकबा 5.40 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम–पेण्ड्री) को मिलाकर कुल रकबा 19.37 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्री दीपक मिश्रा, खनि अधिकारी, जिला–बालोद (छ.ग.) द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–पेण्ड्री 01 किलोमीटर की दूरी पर है। शासकीय स्कूल ग्राम–घोटिया 03 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राज्य मार्ग 11 किलोमीटर की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2.0 मीटर से अधिक
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.5 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 40 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 60 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 1,08,000 घनमीटर

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 08/09/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 203वीं बैठक दिनांक 14/09/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री लेवन कुमार सोरी, संरपच एवं श्री धनेश्वर कोमा, सचिव, ग्राम पंचायत पेण्ड्री तथा श्री उमेश कुमार भार्गव, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस रेत खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
3. प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि स्थल पर रेत उपलब्धता की गहराई 02 से 03 मीटर है। माईनिंग प्लान में रेत उपलब्धता की गहराई 02 मीटर से अधिक बताया गया है एवं रेत खदान की सीमा से निचली जलधारा में 120 मीटर की दूरी पर पुल स्थित होना बताया गया है।
4. प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित रेत खदान की सीमा से 250 मीटर की दूरी पर ग्राम–सिंगनवाही रेत खदान (रकबा 2.44 हेक्टेयर) एवं ग्राम–पचेड़ा रेत खदान (रकबा 6.33 हेक्टेयर) पेण्ड्री रेत खदान से दूसरी तरफ लगी हुई है। पचेड़ा रेत खदान के पश्चात् 600 मीटर दूर पटैली रेत खदान (रकबा 2.2 हेक्टेयर) स्थित है। 500 मीटर में कई खदान स्वीकृत / स्थित होने के कारण भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित हो रहा है। अतः उपरोक्त सभी खदानों हेतु कॉमन इन्वायरोनमेंट मैनेजमेंट प्लान मंगाया जाना अनिवार्य है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

8. सरपंच, ग्राम पंचायत अंधरीकछार, ग्राम–अंधरीकछार, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम (485)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 58588 / 2016, यह आवेदन दिनांक 24 / 08 / 2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 4058 / खनि 02 / रेत (ईसी) / न.क्र. 38 / 1996 नया रायपुर दिनांक 08 / 09 / 2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।

- **प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 28, ग्राम–अंधरीकछार, ग्राम पंचायत अंधरीकछार, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम, कुल लीज क्षेत्र 11.687 हेक्टेयर में है। उत्खनन हाफ नदी से किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,000 घनमीटर (85,000 टन) / वर्ष है।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत अंधरीकछार दिनांक 10 / 07 / 2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला–कबीरधाम के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 524 / खनि.लि. / 2016 कबीरधाम दिनांक 12 / 08 / 2016 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्रीमती प्राची अवस्थी, उपसंचालक, खनि. प्रशा, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, नया रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–अंधरीकछार 800 मीटर की दूरी पर है। प्रायमरी स्कूल ग्राम–अंधरीकछार 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। पचराही एतिहासिक स्थल 1.50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य मार्ग 20 किलोमीटर की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की गहराई – 3.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 12 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 18 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 3,50,610 घनमीटर

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 08/09/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 203वीं बैठक दिनांक 14/09/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्रीमती शाहिना खान, संरपच एवं श्री श्यामू जायसवाल, सचिव, ग्राम पंचायत अंधरीकछार तथा श्री खिलावन कुलार्य, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– पूर्व में रेत खदान खसरा नं.– 28, रकबा– 11.687 हेक्टेयर, क्षमता– 2,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र कमांक 615 दिनांक 07/06/2014 के द्वारा दिनांक 31/03/2015 तक की अवधि हेतु दिया गया।
2. **पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की जानकारी:**– जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नही की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला–कबीरधाम के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 524/ खनि.लि./ 2016 कबीरधाम दिनांक 12/08/2016 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। आवेदित रेत खदान (ग्राम– अंधरीकछार) का रकबा 11.687 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
4. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
5. प्रस्तुतीकरण के दौरान सरपंच / सचिव द्वारा बताया गया कि विगत वर्ष में 150 घनमीटर उत्खनन किया गया है। पूर्व में रेत खदान स्थल का सीमांकन किया गया था, वर्तमान में मौके पर सीमांकित नहीं है। उत्खनन हेतु रेत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
6. स्थल पर रेत उपलब्धता की गहराई की जांच कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी, वर्तमान में मौके पर पक्के मुनारे लगाकर सीमांकन करने, खदान की सीमा से पुलिया की दूरी संबंधी प्रमाण पत्र एवं वर्तमान में स्थल पर रेत उपलब्धता की गहराई संबंधी प्रमाण पत्र (पंचनामा सहित) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

9. सरपंच, ग्राम पंचायत खांड़ा, ग्राम–खांड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग (486)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 58633/2016, यह आवेदन दिनांक 27/08/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है।

खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 355/ख.लि.2/खनिज/रेत खदान/2016 दुर्ग, दिनांक 17/05/2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।

- **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 240, ग्राम–खांड़ा, ग्राम पंचायत खांड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 8.50 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–85,000 घनमीटर / वर्ष है।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत खांड़ा दिनांक 07/01/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दुर्ग के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 598/ख.लि. 2/खनिज/रेत खदान/2016 दुर्ग दिनांक 06/06/2016 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 के भीतर 02 खदानें ग्राम–बिरेझर रकबा 5.0 हेक्टेयर (850 मीटर की दूरी पर) एवं ग्राम–रूदा रकबा 3.57 हेक्टेयर (390 मीटर की दूरी पर) है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–खांड़ा) का रकबा 8.50 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम–खांड़ा) को मिलाकर कुल रकबा 17.07 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्रीमती प्राची अवस्थी, उपसंचालक, खनि. प्रशा, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, नया रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–खांड़ा 01 किलोमीटर है। स्कूल एवं मंदिर ग्राम–खांड़ा 1.50 किलोमीटर तथा अस्पताल ग्राम–निकुम 05 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 किलोमीटर की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – औसत 60 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 165 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 85,000 घनमीटर

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 08/09/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 203वीं बैठक दिनांक 14/09/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्रीमती किरण देशमुख, संरपच, ग्राम पंचायत खांड़ा उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस रेत खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
3. प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि प्रस्तुत प्रमाण पत्र / नक्शे में दर्शाये गये खदानों का विवरण एवं प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित सरपंच द्वारा बताई गई जानकारी में भिन्नताएं है।
4. प्रस्तुत प्रमाण पत्र में दर्शाई गई खदानों की स्थिति के अनुसार ग्राम–बिरेझर रेत खदान (रकबा 5.0 हेक्टेयर) 850 मीटर की दूरी पर एवं तत्पश्चात् 390 मीटर की दूरी पर ग्राम–रूदा रेत खदान (रकबा 3.57 हेक्टेयर) नदी की लम्बाई में स्थित है। प्रस्तुत नक्शे के अनुसार रेत खदान बिरेझर एवं प्रस्तावित रेत खदान नदी के दोनों किनारों पर दर्शाई गई है। खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई औसतन 165 मीटर बताई गई है। अतः प्रमाण पत्र एवं नक्शे में विसंगतियों के संबंध में स्थिति स्पष्ट कराई जावे। साथ ही इस खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी पर स्थित अन्य रेत खदानों के संबंध में वास्तविक नाप कर प्रमाण पत्र मंगाया जावे।
5. यदि आवेदित रेत खदान की सीमा से 500 मीटर के भीतर स्थित / स्वीकृत अन्य खदानें 09/09/2013 के पश्चात् कलेक्टर द्वारा अधिसूचित की गई हो तो भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित होने पर उपरोक्त सभी खदानों हेतु कॉमन इन्वायरोनमेंट मैनेजमेंट प्लान मंगाया जाना अनिवार्य होगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारियाँ / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

10. सरपंच, ग्राम पंचायत बेलोदा (बेलोदा सेंड माईन), ग्राम–बेलोदा, तहसील–डौण्डी, जिला–बालोद (487)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 58664/2016, यह आवेदन दिनांक 29/08/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। मूलप्रति प्राप्ति दिनांक 02/09/2016 है।
- **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 387 एवं 463, ग्राम–बेलोदा, ग्राम पंचायत बेलोदा, तहसील–डौण्डी, जिला–बालोद, कुल लीज क्षेत्र 9.50 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन सूखा नाला से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,23,814 घनमीटर / वर्ष है।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत बेलोदा दिनांक 06/05/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बालोद के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 101/खनि.लि./खनिज/2015 बालोद दिनांक 26/05/2015 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य. कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्री दीपक मिश्रा, खनि अधिकारी, जिला–बालोद (छ.ग.) द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–बेलोदा 01 किलोमीटर की दूरी पर है। अस्पताल ग्राम–डौण्डी में स्थित है। राज्य मार्ग 04 किलोमीटर की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – औसत 50 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 50 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 1,23,814 घनमीटर

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 08/09/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 203वीं बैठक दिनांक 14/09/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री जगनु राम मंडावी, संरपच, ग्राम पंचायत बेलोदा एवं श्री उमेश कुमार भार्गव, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस रेत खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बालोद के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 101/खनि.लि./खनिज/2015 बालोद दिनांक 26/05/2015 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा

जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–बेलोदा) का रकबा 9.50 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

3. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।

4. ग्राम पंचायत बेलोदा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

5. प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि यह सूखा नदी है तथा वर्षा होने पर ही नदी में बहाव रहता है। शेष समय नदी में बहाव नहीं रहता है। वर्तमान में नदी में काफी मात्रा में रेत का भराव हो गया है। पुल 03 कि.मी. से ज्यादा दूरी पर स्थित है। खदान स्थल पर रेत उपलब्धता की गहराई हेतु पिट्स खोदकर जांच की गई, रेत उपलब्धता की गहराई 03 मीटर पायी गई है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। सूखा नाला छोटा नाला है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 0.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पार्ट ऑफ खसरा नं. 387 एवं 463, ग्राम–बेलोदा, ग्राम पंचायत बेलोदा, तहसील–डौण्डी, जिला–बालोद, कुल लीज क्षेत्र 9.50 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 0.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घनमीटर /वर्ष हेतु **संलग्न–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

11. सरपंच, ग्राम पंचायत लच्छनपुर, ग्राम–लच्छनपुर, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर चांपा (488)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 58685/2016, यह आवेदन दिनांक 30/08/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 968/ख.लि./2016 जांजगीर, दिनांक 23/08/2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।
- **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 1134, ग्राम–लच्छनपुर, ग्राम पंचायत लच्छनपुर, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर चांपा, कुल लीज क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन हसदेव नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 60,000 घनमीटर / वर्ष है।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत लच्छनपुर दिनांक 10/08/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 2085/ख.लि./2015 जांजगीर, दिनांक 30/12/2015 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–लच्छनपुर 0.5 कि.मी. दूर है। शैक्षणिक संस्थान 0.5 किमी. एवं अस्पताल 3.0 किमी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.8 मीटर की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – औसत 4.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – औसत 1.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – औसत 127 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 350 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 2,40,000 घनमीटर

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 08/09/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 203वीं बैठक दिनांक 14/09/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री तेरस राम यादव, सरपंच एवं श्री काशीदास महंत, उपसरपंच, ग्राम पंचायत लच्छनपुर एवं श्रीमती शबीना टंडन, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस रेत खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 2085/ख.लि./2015 जांजगीर, दिनांक 30/12/2015 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016

के अनुसार क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–लच्छनपुर) का रकबा 6.0 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

3. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
4. ग्राम पंचायत लच्छनपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। हसदेव नदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।
6. प्रस्तुतीकरण के दौरान खनि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि पिट्स की खुदाई कर स्थल पर रेत उपलब्धता की गहराई की जांच की गई, रेत उपलब्धता की गहराई औसतन 04 मीटर पायी गई है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पार्ट ऑफ खसरा नं. 1134, ग्राम–लच्छनपुर, ग्राम पंचायत लच्छनपुर, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर चांपा, कुल लीज क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 60,000 घनमीटर /वर्ष हेतु **संलग्न–04** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

12. सरपंच, ग्राम पंचायत भिलाई, ग्राम–तेलगुड़ा, तहसील– चारामा, जिला–उ.ब.कांकेर (489)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 58708/2016, यह आवेदन दिनांक 30/08/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है मूलप्रति प्राप्ति दिनांक 15/09/2016 को प्रस्तुत किया गया है।
- **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 01, ग्राम– भिलाई, ग्राम पंचायत भिलाई, तहसील–चारामा, जिला–उ.ब.कांकेर, कुल लीज क्षेत्र 6.25 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,25,000 घनमीटर / वर्ष है।
- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत भिलाई दिनांक 22/08/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–उ.ब. कांकेर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 366ई/खनिज/रेत (मूल)/2015 कांकेर दिनांक 23/08/2015 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर 01 खदान, ग्राम– माहुद, रकबा 5.02 हेक्टेयर, 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–भिलाई) का रकबा 6.25 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम–भिलाई) को मिलाकर कुल रकबा 11.27 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्री प्रमोद कुमार, खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम– तेलगुड़ा 2.5 किलोमीटर है। स्कूल एवं मंदिर 2.5 किलोमीटर तथा अस्पताल ग्राम– चारामा 8.0 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8.0 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 28 किलोमीटर की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – औसत 135 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 300 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 1,25,000 घनमीटर

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 08/09/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 203वीं बैठक दिनांक 14/09/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री कैलाश कुमार उसेन्डी, सचिव, ग्राम पंचायत भिलाई एवं श्री अदित्य कुमार मानकर, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस रेत खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
3. प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर की परिधि में 01 खदान ग्राम–माहुद, रकबा 5.02 हेक्टेयर, 50 मीटर की दूरी पर है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संशोधन अधिसूचना

दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित हो रहा है। अतः उपरोक्त खदान हेतु कॉमन इन्वायरोनमेंट मैनेजमेंट प्लान मंगाया जाना अनिवार्य है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

13. सरपंच, ग्राम पंचायत कुम्हारी–डी, ग्राम– कुम्हारी, तहसील– आरंग, जिला–रायपुर (490)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 58729/2016, यह आवेदन दिनांक 31/08/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। उपसंचालक, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रायपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 1881/ख.लि./तीन–6/रेत खदान/2016 रायपुर, दिनांक 27/08/2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।
- **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 1882, ग्राम– कुम्हारी, ग्राम पंचायत कुम्हारी, तहसील– आरंग, जिला–रायपुर, कुल लीज क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,70,000 टन / वर्ष है।
- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत कुम्हारी दिनांक 02/06/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रायपुर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 443/ख.लि./रे.ख./2016 रायपुर दिनांक 23/07/2016 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर 03 खदानें ग्राम–कुम्हारी (सी), खसरा नं. 1882, रकबा 4.0 हेक्टेयर, 35 मीटर की दूरी पर, ग्राम–कुम्हारी (बी), खसरा नं. 1882, रकबा 4.0 हेक्टेयर, 210 मीटर की दूरी पर, ग्राम–कुम्हारी (ए), खसरा नं. 1882, रकबा 4.0 हेक्टेयर, 380 मीटर की दूरी पर है। साथ ही ग्राम–टीला, खसरा नं. 1891, रकबा 6.0 हेक्टेयर रेत खदान 1074 मीटर की दूरी पर स्थित है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–कुम्हारी–डी) का रकबा 6.0 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम–कुम्हारी) को मिलाकर कुल रकबा 24 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्री महिपाल सिंह कवर, उपसंचालक, (खनि. प्रशा,) जिला रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम– हथखोज 1.3 किलोमीटर है। स्कूल ग्राम– हथखोज 1.3 किलोमीटर एवं अस्पताल ग्राम– हथखोज 1.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1.03 किलोमीटर की दूरी पर है।

2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 6.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 405 मीटर एवं न्यूनतम 146 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 1580 मीटर एवं न्यूनतम 1376 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 1,80,000 घनमीटर

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 08/09/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 203वीं बैठक दिनांक 14/09/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री जनकराम साहू, संरपच, ग्राम पंचायत कुम्हारी एवं श्री रोहित साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस रेत खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
3. प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर की परिधि में 03 खदानें ग्राम–कुम्हारी (सी), खसरा नं. 1882, रकबा 4.0 हेक्टेयर, 35 मीटर की दूरी, ग्राम–कुम्हारी (बी), खसरा नं. 1882, रकबा 4.0 हेक्टेयर, 210 मीटर की दूरी एवं ग्राम–कुम्हारी (ए), खसरा नं. 1882, रकबा 4.0 हेक्टेयर, 380 मीटर की दूरी है। ग्राम–कुम्हारी (ए) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के द्वारा पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में ग्राम–कुम्हारी (डी) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम–कुम्हारी (बी) एवं ग्राम–कुम्हारी (सी) के लिए डी.ई.आई.ए.ए., रायपुर में आवेदन किया गया है। प्रकरण विचाराधीन है। इस प्रकार 500 मीटर में एक से अधिक खदानें है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित हो रहा है। अतः उपरोक्त खदान हेतु कॉमन इन्वायरोनमेंट मैनेजमेंट प्लान मंगाया जाना अनिवार्य है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

14. सरपंच, ग्राम पंचायत कोदोबतर, ग्राम–कोदोबतर, तहसील व जिला–गरियाबंद (491)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 58734/2016, यह आवेदन दिनांक 31/08/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 4058/खनि

02/रेत (ईसी)/न.क्र. 38/1996 नया रायपुर दिनांक 08/09/2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।

- **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 179 एवं 235 (पी), ग्राम–कोदोबतर, ग्राम पंचायत कोदोबतर, तहसील व जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्र 10.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन पैरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,50,000 घनमीटर / वर्ष है।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत कोदोबतर दिनांक 28/01/2016 एवं वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद दिनांक 11/04/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय उपनिदेशक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद (छ.ग.) के पत्र कमांक 489 दिनांक 03/03/2016 के द्वारा ग्राम–कोदोबतर की उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व की दूरी रायपुर से देवभाग मुख्य राज्यमार्ग के उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व के दक्षिण दिशा मे बफर क्षेत्र तौरेंगा की दूरी 65 कि.मी. एवं दक्षिण–पूर्व दिशा मे बफर क्षेत्र कुल्हाड़ी घाट की दूरी 42 कि.मी. है।
3. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–गरियाबंद के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 443/ख.लि./रे.ख./2016 गरियाबंद दिनांक 23/07/2016 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर 01 खदान ग्राम–कोदोबतर खसरा नं. 179, रकबा 9.0 हेक्टेयर, 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–कोदोबतर) का रकबा 10.0 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम–कोदोबतर) को मिलाकर कुल रकबा 19 हेक्टेयर है।
5. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्रीमती प्राची अवस्थी, उपसंचालक, खनि. प्रशा, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, नया रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–कोदोबतर 02 किलोमीटर है। शैक्षणिक संस्था ग्राम–खांड़ा 2.0 किलोमीटर, अस्पताल गरियाबंद 10 किलोमीटर, धार्मिक स्थल एवं एतिहासिक स्थल राजिम 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रायपुर से देवभोग राज्यमार्ग 0.15 किलोमीटर की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 4.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – औसत 200 मीटर

6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 400 मीटर

7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 1,50,000 घनमीटर

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 08/09/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 203वीं बैठक दिनांक 14/09/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्रीमती उमा ध्रुव, संरपच, ग्राम पंचायत कोदोबतर एवं श्री सनत कुमार साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस रेत खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
3. पूर्व में कोदोबतर रेत खदान को पार्ट ऑफ खसरा नं.– 179, रकबा– 9.0 हेक्टेयर, क्षमता– 90,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रमांक 725 दिनांक 27/07/2016 के द्वारा जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया। वर्तमान में इसी खसरा नं. में पुनः आवेदन किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि वर्तमान में आवेदित प्रकरण कोदोबतर (बी) का है, किन्तु आवेदन पत्र एवं माईनिंग प्लान में कोदोबतर (बी) का उल्लेख नहीं है। अतः कोदोबतर (बी) के नाम से नया आवेदन पत्र समस्त संशोधित दस्तावेजों सहित आवेदन किया जावे। साथ ही कोदोबतर (बी) के नाम से आवेदन करने पर अन्य दस्तावेजों के साथ कॉमन इन्वायरोनमेंट मैनेजमेंट प्लान मंगाया जावे।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आवेदन को निरस्त / डि–लिस्ट करने की अनुशंसा की जावे।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष,
राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति,
छत्तीसगढ़

(रेजीना टोप्पो)
सचिव,
राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति,
छत्तीसगढ़

सरपंच, ग्राम पंचायत सोनपुर को खसरा नं. 619, कुल लीज क्षेत्र 9.85 हेक्टेयर, ग्राम–सोनपुर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में खारुन नदी से रेत उत्खनन क्षमता 98,000 घनमीटर /वर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्ते

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. उत्खनन क्षेत्र 9.85 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 98,000 घनमीटर /वर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जावे।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी "सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मेनेजमेंट गाईडलाईंस, 2016" के स्टेण्डर्ड इंव्हायरोनमेंटल कंडिशन्स फॉर सेण्ड माईनिंग के प्रावधानों का पालन किया जावे।
5. वर्षाऋतु में रिव्हर सेण्ड माईनिंग नहीं किया जावे।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नही किया जायेगा, ताकि रेत उत्खनन के कारण नदी तल/नदी बेसिन की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो ।
7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जावेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.0 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी स्तह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नही होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जावेगा। न्यूनतम 02 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के उपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर की दूरी छोडकर ही किया जावें, जिससे नदी तटों का क्षरण न हो एवं इस पर नियंत्रण रखा जा सकें साथ ही किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 100 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जावे कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्विडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जावे कि उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव – जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जावे।

11. रेत उत्खनन दिन के समय ही किया जावे। रेत की खुदाई एवं भराई का कार्य रात्रि के समय नहीं किया जावे।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जावे। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

13. रेत उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुँच मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।

14. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जावे, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

16. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2016 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1970 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। नदी तट पर स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे।**

17. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जावे।

18. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा

निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे।

19. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

20. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइलटायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावें।

21. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

22. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।

23. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

24. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

25. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

26. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

27. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये

दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

30. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।

31. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

सरपंच, ग्राम पंचायत कंवलाझर
को खसरा नं. 01, कुल लीज क्षेत्र 8.09 हेक्टेयर, ग्राम–कंवलाझर, तहसील–डभरा, जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग.) में बोरई नदी से रेत उत्खनन क्षमता 80,000 घनमीटर /वर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्ते

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. उत्खनन क्षेत्र 8.09 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 80,000 घनमीटर /वर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जावे।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी "सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मेनेजमेंट गाईडलाईंस, 2016" के स्टेण्डर्ड इंव्हायरोनमेंटल कंडिशन्स फॉर सेण्ड माईनिंग के प्रावधानों का पालन किया जावे।
5. वर्षाऋतु में रिव्हर सेण्ड माईनिंग नहीं किया जावे।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नही किया जायेगा, ताकि रेत उत्खनन के कारण नदी तल/नदी बेसिन की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो ।
7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जावेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.0 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी स्तह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जावेगा। न्यूनतम 02 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के उपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर की दूरी छोडकर ही किया जावें, जिससे नदी तटों का क्षरण न हो एवं इस पर नियंत्रण रखा जा सकें साथ ही किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 100 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जावे कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्विडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जावे कि उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव – जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जावे।

11. रेत उत्खनन दिन के समय ही किया जावे। रेत की खुदाई एवं भराई का कार्य रात्रि के समय नहीं किया जावे।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जावे। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।

13. रेत उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुँच मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।

14. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जावे, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

16. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2016 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1620 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। नदी तट पर स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे।**

17. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जावे।

18. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा

निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे।

19. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

20. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइलटायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावें।

21. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

22. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।

23. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

24. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तो के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

25. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

26. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

27. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये

दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

30. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।

31. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला--व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

सरपंच, ग्राम पंचायत बेलोदा

को पार्ट ऑफ खसरा नं. 387 एवं 463, कुल लीज क्षेत्र 9.50 हेक्टेयर, ग्राम–बेलोदा, तहसील–डौण्डी, जिला–बालोद (छ.ग.) में सूखा नाला से रेत उत्खनन क्षमता 50,000 घनमीटर /वर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्ते

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. उत्खनन क्षेत्र 9.50 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 50,000 घनमीटर /वर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जावे।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी "सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मेनेजमेंट गाईडलाईंस, 2016" के स्टेण्डर्ड इंव्हायरोनमेंटल कंडिशन्स फॉर सेण्ड माईनिंग के प्रावधानों का पालन किया जावे।
5. वर्षाऋतु में रिव्हर सेण्ड माईनिंग नहीं किया जावे।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नही किया जायेगा, ताकि रेत उत्खनन के कारण नदी तल/नदी बेसिन की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो ।
7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जावेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 0.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी सतह, दोनों मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जावेगा। न्यूनतम 02 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के उपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर की दूरी छोडकर ही किया जावें, जिससे नदी तटों का क्षरण न हो एवं इस पर नियंत्रण रखा जा सकें साथ ही किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 100 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जावे कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जावे कि उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव – जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जावे।

11. रेत उत्खनन दिन के समय ही किया जावे। रेत की खुदाई एवं भराई का कार्य रात्रि के समय नहीं किया जावे।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जावे। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।

13. रेत उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुँच मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।

14. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जावे, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

16. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2016 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1900 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। नदी तट पर स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे।**

17. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय--समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जावे।

18. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा

निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे।

19. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

20. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइलटायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावें।

21. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

22. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।

23. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

24. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अंथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

25. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

26. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

27. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये

दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

30. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।

31. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

सरपंच, ग्राम पंचायत लच्छनपुर
को पार्ट ऑफ खसरा नं. 1134, कुल लीज क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर, ग्राम–लच्छनपुर, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग.) में हसदेव नदी से रेत उत्खनन क्षमता 60,000 घनमीटर /वर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्ते

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. उत्खनन क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 60,000 घनमीटर /वर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जावे।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी "सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मेनेजमेंट गाईडलाईंस, 2016" के स्टेण्डर्ड इंव्हायरोनमेंटल कंडिशन्स फॉर सेण्ड माईनिंग के प्रावधानों का पालन किया जावे।
5. वर्षाऋतु में रिव्हर सेण्ड माईनिंग नहीं किया जावे।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नही किया जायेगा, ताकि रेत उत्खनन के कारण नदी तल/नदी बेसिन की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो ।
7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जावेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.0 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी स्तह, दोनो में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जावेगा। न्यूनतम 02 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के उपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर की दूरी छोडकर ही किया जावें, जिससे नदी तटों का क्षरण न हो एवं इस पर नियंत्रण रखा जा सकें साथ ही किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 100 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जावे कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जावे कि उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव – जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जावे।

11. रेत उत्खनन दिन के समय ही किया जावे। रेत की खुदाई एवं भराई का कार्य रात्रि के समय नहीं किया जावे।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जावे। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।

13. रेत उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुॅच मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।

14. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जावे, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

16. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2016 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1200 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। नदी तट पर स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे।**

17. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय--समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जावे।

18. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा

निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे।

19. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

20. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइलटायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावें।

21. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

22. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।

23. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

24. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

25. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

26. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

27. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये

दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

30. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।

31. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**